

प्रेस नोट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर, दिनांक 29.09.2021

थाना रामगढताल पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्ग दर्शन में थाना रामगढताल पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 121/2021 से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 राजेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम को लगाया गया था। उ0नि0 राजेश कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारी के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के उजाला तिराहा पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त रामसरन वर्मा हनुमान मंदिर तिराहा से होकर चार पहिया गाड़ी से देवरिया जाने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 राजेश कुमार सिंह मय हमराही कर्मचारीगण के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचकर इन्तजार करने लगे कि एक व्यक्ति चार पहिया गाड़ी से आते हुए दिखाई दिया, नजदीक आने पर पुलिस टीम द्वारा इशारा करके रोका गया तो चालक अपने गाड़ी को रोककर उतर गया तथा दरवाजा खोलकर भागने का प्रयास किया तो उ0नि0 राजेश कुमार सिंह द्वारा मय हमराही कर्मचारीगण की मदद से उक्त व्यक्ति को मौके पर घेर घार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रामसरन वर्मा उर्फ राजीव वर्मा पुत्र रामलखन वर्मा निवासी खुटभार थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र 39 वर्ष बताया। नाम पता तस्दीक कर अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 14.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया जिसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामसरन वर्मा उर्फ राजीव वर्मा पुत्र रामलखन वर्मा निवासी खुटभार थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र 39 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0- 121/2021, धारा 323,504,506,406,419,420,120 बी भा0द0वि0।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।
2. हे0का0 कयूम अली, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।
3. का0 संतोष कुमार, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।